

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर

(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103004542014

दांडिक प्रकरण क.-416 / 14

संस्थापित दिनांक-22.07.14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र पिपरई जिला अशोकनगर। <div>.....अभियोजन</div>
<b>विरुद्ध</b>
01-जमुना पुत्र बसोरा अहिरवार उम्र 25 साल निवासी सीगौन थाना पिपरई। <div>.....आरोपी</div>
राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपी द्वारा :- श्री दीपक श्रीवास्तव अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 01.05.2017 को घोषित)

- 01— आरक्षी केन्द्र पिपरई, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 354क के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02— प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।
- 03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादी ताराबाई ने दिनांक 10.06.14 को आरक्षी केंद्र पिपरई में इस आशय का लेखी आवेदन प्रस्तुत किया कि घटना दिनांक को जब वह शाम को नदी किनारे लेट्टिन करने गई थी तब आरोपी जमुना पुत्र बसोरा अहिरवार निवासी ग्राम सीगोन पहले से छुपा होगा, जैसे ही वह नदी किनारे पहुंची कि एकदम वह उसके पीछे से आकर चेंट गया और जब वह

चिल्लाई तो बोला कि रुपये ले लेना किसी से घर मत कहना। और जब उसने पैसे लेने से मना किया तो वह भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 169/14 के अंतर्गत भादवि की धारा 354क के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 354क के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 08.06.2014 को समय करीब शाम 04.00 बजे थाना पिपरई अंतर्गत ग्राम सीगोन की नदी के पास फरियादी ताराबाई जो कि एक स्त्री है की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नीयत से उसके साथ छेड़छाड़ कर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

**—:: सकारण निष्कर्ष ::—**

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 ताराबाई, अ.सा. 02 मोती सिंह, अ.सा. 03 सरनाम सिंह की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 ताराबाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को आरोपी ने उसे धक्का दे दिया था और कोई घटना कारित नहीं की थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसने प्रपी 01 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी तथा पुलिस ने नक्शामौका प्रपी 02 बनाया था। अ.सा. 01 ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने उसे पीछे से पकड़ लिया था। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन देने से इंकार किया है। इसी प्रकार अ.सा. 02 एवं अ.सा. 03 ने भी अपने कथन में बताया है कि आरोपी ने फरियादिया को धक्का दे दिया था जिससे वह गिर

गई थी। दोनों साक्षीगण ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी घटना दिनांक को फरियादिया से चेंट गया था। दोनों साक्षीगण ने पुलिस कथन देने से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि एक भी अभियोजन साक्षी ने अपने कथन में यह नहीं बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादिया की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया था।

08— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 354क के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

09— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

10— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

11— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)